

05.11.17

वकील उभयपक्ष उषा गैरहायल नं० 2 बावजूद
सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण सूकरफा
कार्यवाही की जाती है। वकील गैरहायल ने जवाब
पेश किया। वकील उभयपक्ष इस आशय पर
सहमत हैं कि उभयपक्ष लॉफेसला दावा विकसित
भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये
रखेंगे।

Gautam
Joshi

अतः उभयपक्ष की सहमति से लॉफेसला
दावा उभयपक्ष द्वारा को अर्थाई निषेधाज्ञा से
पारबन्ध किया जाता है कि वे भूमि खण्ड $\frac{25}{0-63}$,
 $\frac{86}{1-10}$, $\frac{159}{0-61}$, $\frac{182}{0-83}$ ग्राम काशीपुर तहसील काशीपुर
के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
पत्रावली के सलसुमार होकर नंबर से
क्रम दो एवं बाद तकनील संलग्न मूल वाद
रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (संभा०)